संख्या:69/2020/1934जेएल/22-3-2020-100(41)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2020*

विषय: जिला कारागार चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/मा0 विधायक श्री विजय मिश्रा पुत्र स्व0 रामदेव मिश्र को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार आगरा में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23224/सामा-1(7)/विजय मिश्रा/2020, दिनांक 22-09-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/मा0 विधायक श्री विजय मिश्रा पुत्र स्व0 रामदेव मिश्र को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार आगरा में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:69/2020/1934जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट/आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट/आगरा।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
6. अधीक्षक, जिला कारागार चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के केन्द्रीय कारागार आगरा में स्थानान्तरण/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम से शासन को उपलब्ध करायें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in